(वाद सं0.-3998/4/3/2019)

12.08.2021

प्रसंगाधीन मामला परिवादी देवकी नन्दन राय के अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंधित लोक अदालत के आदेश का अंचल अधिकारी बाराहाट द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **जिला पदाधिकारी, बांका** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **अंचल अधिकारी, बाराहाट** क प्रतिवेदनानुसार " **देवकी नंदन राय सा0 बाराटीकर के आवेदन के आधार पर कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल धोरैया के पत्रांक 1101 दिनांक 16.11.2017 के आलोक में इस कार्यालय में अतिक्रमण वाद संख्या 12/ 17–18/ 4/19–20 संधारित किया गया था। इसमें कुल 23 व्यक्तियों के विरूद्ध अंतिम आदेश पारित हुआ था, तदोपंरात आज दिनांक 17.03.2021 को इंगलिश मोड़ पुनसिया मुख्य मार्ग पर अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। अतिक्रमित भूमि मौजा मुलक थाना संख्या 107 खाता 58 खेसरा 649 एवं 174 से संबंधित है**।"

अब जबकि संबंधित प्राधिकार द्वारा परिवाद पत्र में उल्लिखित समस्या का निराकरण किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में **जिला पदाधिकारी, बांका** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार **जिला पदाधिकारी, बांका** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति (पृष्ठ–07–06/प0) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक